बच्चे भी अब यौन उत्पीड़न की शिकायत कर सकेंगे

नई दिल्ली | एजेंसी

बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पॉक्सो ई-बॉक्स सेवा शुरू की है। इसके जरिये पीड़ित बच्चे अपनी शिकायत सीधे आयोग तक पहुंचा सकते हैं।

पॉक्सो ई-बॉक्स नाम से शुरू आयोग की वेबसाइट पर शिकायत मिलने के बाद आयोग बाल यौन उत्पीड़न विरोधी कानून (पॉक्सो) के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करता है। एनसीपीसीआर के सदस्य यशवंत जैन ने बताया कि बच्चों के उत्पीड़न के कई मामलों में परिवार या रिश्तेदारी के लोग शामिल होते हैं। इनकी शिकायत बच्चे आसानी से नहीं कर पाते। बच्चों के लिए पुलिस, बाल कल्याण समिति या किसी एनजीओ से संपर्क साधना भी मुश्किल होता है।

ऐसे दर्ज करा सकते हैं शिकायत : बाल संरक्षण आयोग की पॉक्सो ई-बॉक्स विंडो पर जाकर शिकायत फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद पीड़ित को विशेष नंबर मिलेगा। पीड़ित बच्चे पॉक्सोईबॉक्स-एनसीपीसीआर@जीओवीडॉटइन पर अपनी शिकायत मेल करने के अलावा मोइबाल नंबर 9868235077 पर फोन कर भी बता सकते हैं। बच्चों की आसानी के लिए कार्टून और तस्वीरें दी गई हैं।